OPEN ACCESS
Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [May- Jun] Year 2025*

Research Article

भारतीय संघीय संरचना में समय के साथ हुए संवैधानिक परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (1996-2025)

Praveen Kumar Dwivedi[1*], Dr. Ramsiya Charmkar[2]
[1] Ph.D. Research Scholar, Faculty of Humanities and Liberal Arts,
Rabindra Nath Tagore University, Raisen, Bhopal, Madhya Pradesh India
[2] Associate Professor, Faculty of Humanities and Liberal Arts,
Rabindra Nath Tagore University, Raisen, Bhopal, Madhya Pradesh, India

Corresponding Author: * Praveen Kumar Dwivedi

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15650471

सारांश

भारतीय संविधान विश्व के सबसे व्यापक और परिष्कृत संविधानों में से एक है, जो भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट संघीय-संयोजन प्रणाली प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुच्छेद **1** में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है, जो एक ऐसी अभिन्न एकता का प्रतीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया गया है। भारत के संघवाद की विशेषता यह है कि यह एक "ऊपर से नीचे" लागू किया गया संघवाद है, जहाँ राज्यों की सत्ता संविधान से आती है, न कि वे स्वतंत्र संप्रभु इकाइयाँ हैं। संविधान में संघीय स्वरूप की प्रमुख पहचान शक्ति के वितरण में है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची के माध्यम से तीन सूचियों—केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—के द्वारा परिभाषित किया गया है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों का संतुलित बँटवारा सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के पास स्वतंत्र विधायिका और कार्यपालिका हैं, जो भारतीय संघवाद की मजबूती को दर्शाता है। फिर भी, भारतीय संघवाद में एकात्मकताएँ भी विद्यमान हैं। केंद्र सरकार को अनेक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि समवर्ती सूची के मामलों में यदि केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद **352, 356, 360)** के तहत केंद्र को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त होता है, जो केंद्राभिमुख संघवाद की प्रकृति को उजागर करता है। वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अधिक है क्योंकि कराधान एवं अनुदान के माध्यम से केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और एकीकृत संरचना संघीय व्यवस्था को संतुलित बनाए रखती है। अतः भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएँ स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं, लेकिन साथ ही यह एक मजबूत केंद्र के साथ केंद्राभिमुख संघवाद का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो देश की विविधताओं के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 19-05-2025
- **Accepted:** 05-06-2025
- **Published:** 11-06-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 355-363
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Dwivedi P, Charmkar R. भारतीय संघीय संरचना में समय के साथ हुए संवैधानिक परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (1996-2025). Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3):355-363.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: भारतीय संविधान, संघीय विशेषताएँ, केंद्राभिमुख संघवाद, शक्तियों का वितरण, आपातकालीन प्रावधान

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

भारत जिसकी गणना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में होती है, एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र है। इतनी विविधता के बावजूद, भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। इस एकता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी जो न केवल देश की अखंडता को सुनिश्चित करे, बल्कि क्षेत्रीय विविधताओं को भी सम्मान दे और उन्हें राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन प्रणाली को अंगीकार किया। भारतीय संघवाद का मूल आधार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-कौन से विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे और कौन से विषय राज्य सरकारों के अधीन आएंगे। इसके लिए संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ—केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—निर्धारित की गई हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है।

हालाँकि भारतीय संघवाद पारंपरिक संघीय मॉडलों—जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या कनाडा—से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भिन्न है। पारंपरिक संघों में राज्य स्वतन्त्र इकाइयाँ होती हैं जो अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा संघ को देती हैं। इसके विपरीत, भारत का संघवाद एक 'कृत्रिम संघ' है, जहाँ राज्य संविधान द्वारा निर्मित हैं और उनकी संप्रभुता सीमित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है, न कि "संघ का राज्य", जो यह स्पष्ट करता है कि संघ की शक्ति सर्वोपरि है। भारत में संघीय ढाँचे के बावजूद, केंद्र को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में संघवाद एकात्मक प्रवृत्तियों से भी युक्त है। इस प्रकार, भारतीय संघवाद को "संघात्मक एकात्मकता" (cooperative federalism with unitary bias) कहा जाता है, जो इसकी विशेषता भी है और आवश्यकता भी। इस संघात्मक ढाँचे ने भारत को उसकी विविधता के साथ एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह व्यवस्था न केवल देश के विभिन्न हिस्सों को उनकी पहचान और अधिकार देती है, बल्कि एक समन्वित शासन व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को भी सुरक्षित करती है।

संविधान में संघीय विशेषताएँ और प्रारूप

भारतीय संविधान, विश्व के सबसे विस्तृत और परिष्कृत संविधानों में से एक है, जिसमें संघवाद की अवधारणा को एक विशिष्ट भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि संविधान ने भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा है, परंतु इसमें पारंपरिक संघीय ढाँचों से भिन्न कई विशेषताएँ विद्यमान हैं। भारतीय संघवाद की जड़ें शक्तियों के वितरण, संस्थागत संरचना और प्रशासनिक संतुलन में निहित हैं।

1. शक्तियों का वितरण

भारतीय संघीय ढाँचे की सबसे प्रमुख विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों द्वारा परिभाषित किया गया है:

- **संघ सूची (Union List):** इसमें रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा और रेलवे जैसे विषय आते हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।
- **राज्य सूची (State List):** इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर केवल राज्य सरकारें विधायी कार्य कर सकती हैं।
- **समवर्ती सूची (Concurrent List):** इसमें शिक्षा, वन, विवाह, दिवाला आदि विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है।

2. विधायी और कार्यपालिका संरचना

भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों दोनों के लिए स्वतंत्र विधायी एवं कार्यपालिका निकायों की व्यवस्था करता है। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद जबकि राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल कार्यरत होते हैं। यह द्वैध शासन व्यवस्था संघीय ढाँचे की पुष्टि करती है।

3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

संविधान में एक एकीकृत लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय व्यवस्था का संरक्षक है और यह केंद्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। संविधान की व्याख्या और संघीय संतुलन बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. वित्तीय संबंध

केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कराधान और अनुदानों के माध्यम से वित्तीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वित्त आयोग इस संतुलन को सुनिश्चित करने में सहायक होता है, परंतु फिर भी राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर अधिक होती है, जो केंद्राभिमुखता को दर्शाती है।

5. राज्यपाल की भूमिका

राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कई बार राज्यपाल की भूमिका राज्यों के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेपकारी मानी जाती है, जिससे संघवाद में एकात्मक प्रवृत्ति की झलक मिलती है।

6. आपातकालीन प्रावधान

आपातकाल की स्थिति (अनुच्छेद 352, 356, 360) में संघवाद की प्रकृति पूरी तरह एकात्मक हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की अधिकांश शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। यह केंद्र की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है।

भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं, किन्तु यह संघवाद पारंपरिक पश्चिमी मॉडलों से भिन्न है। भारत का संघवाद एक "केंद्राभिमुख संघवाद" (Centralised Federalism) है, जिसमें संघ और राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं, परंतु

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संघवाद का यह स्वरूप देश की विविधता को समेटते हुए एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान बनाए रखने में सफल रहा है।

शोध का उद्देश्य, महत्व और सीमा

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि वर्ष 1996 से 2025 तक भारतीय संघीय संरचना में कौन-कौन से संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तनों का केंद्र-राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या इन परिवर्तनों ने भारतीय संघवाद को अधिक सुदृढ़ बनाया या फिर उसकी मूल भावना को क्षीण किया है। शोध का महत्व इस बात में है कि यह समकालीन भारत में संघीय शासन की दशा और दिशा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसकी सीमा वर्ष 1996 से लेकर 2025 तक के संवैधानिक परिवर्तनों और न्यायिक व्याख्याओं तक सीमित है।

अध्ययन की समय-सीमा और अनुसंधान की पद्धति

यह अध्ययन वर्ष 1996 से वर्ष 2025 तक की संवैधानिक प्रक्रियाओं, संशोधनों, न्यायिक निर्णयों, और शासन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, घटनाओं का विवेचन, और केंद्र-राज्य संबंधों की गहराई से समीक्षा की गई है।

स्रोतों की जानकारी (प्राथमिक एवं द्वितीयक)

इस शोध में निम्नलिखित प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है:

प्राथमिक स्रोत:

- भारत का संविधान
- संसद में पारित संवैधानिक संशोधन
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय
- राष्ट्रपति के अभिभाषण, विधेयक, सरकारी दस्तावेज

द्वितीयक स्रोत:

- संवैधानिक विशेषज्ञों के लेख
- शोध ग्रंथ और शोध-पत्र
- समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समसामयिक आलेख
- नीति आयोग एवं विधि आयोग की रपटें

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं जीवंत संविधान माना जाता है, जिसकी विशेषता इसका संघीय ढाँचा है। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी, जहाँ विविधता में एकता को बनाए रखते हुए शासन की ऐसी संरचना विकसित की जा सके, जो केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखे। संघीयता का मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा जातीय पहचानों वाले राष्ट्र को एक सशक्त किन्तु समन्वित प्रशासनिक ढाँचे में आबद्ध करना था। भारत का संघवाद परंपरागत अर्थों में पूर्णतः संघात्मक नहीं है, अपितु यह एक विशेष प्रकार का समायोजित संघवाद है, जिसमें संविधान ने केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की हैं, जबकि राज्यों को भी स्वायत्त कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। प्रारंभ में यह संरचना संतुलन की भावना पर आधारित थी, परंतु समय के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से इस संतुलन में परिवर्तन देखा गया।

वर्ष 1996 से लेकर 2025 तक का कालखंड भारतीय संघीय व्यवस्था में परिवर्तन, संघर्ष, सामंजस्य और पुनर्संरचना का साक्षी रहा है। इस अवधि में अनेक संवैधानिक संशोधन, न्यायिक निर्णय, राजनीतिक घटनाक्रम तथा नीतिगत बदलाव हुए हैं, जिनका संघीय ढाँचे पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ा है। 73 वाँ और 74वाँ संशोधन ने पंचायती राज एवं नगरीय शासन को सुदृढ़ किया, वहीं 101वाँ संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के माध्यम से वित्तीय संघवाद में नया अध्याय जोड़ा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों ने संघीयता की व्याख्या को अधिक सुस्पष्ट किया है।

संविधान में यद्यपि केंद्र-राज्य संबंधों की स्पष्ट रूपरेखा दी गई है, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक बार टकराव, असंतुलन एवं राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, नीतिगत समन्वय की कमी तथा क्षेत्रीय असंतोष जैसी स्थितियाँ संघीय ढाँचे के समक्ष निरंतर चुनौती प्रस्तुत करती रही हैं।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य इन सभी पहलुओं का गंभीर विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि किस प्रकार संवैधानिक परिवर्तनों ने भारतीय संघवाद को प्रभावित किया है, और भविष्य के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं। साथ ही यह अध्ययन सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद की वर्तमान अवधारणाओं की भी समीक्षा करेगा।

यह शोध कार्य वर्ष 1996 से 2025 की अवधि को केंद्र में रखकर उन संवैधानिक, न्यायिक, एवं राजनीतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था की दिशा, प्रकृति और प्रभावशीलता को प्रभावित किया।

शोध का उद्देश्य

- भारतीय संघवाद की मूल अवधारणा और संविधान में उसके स्वरूप की समीक्षा।
- संवैधानिक संशोधनों द्वारा संघीय ढाँचे में आए परिवर्तनों का विश्लेषण।
- न्यायिक दृष्टिकोण एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की भूमिका का आकलन।
- वर्तमान समय की चुनौतियों तथा सहकारी संघवाद की स्थिति का मूल्यांकन।
- भावी सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की सीमा

यह अध्ययन केवल वर्ष 1996 से 2025 के बीच के घटनाक्रमों तक सीमित है, जिसमें संवैधानिक संशोधन, न्यायिक निर्णय, नीति-निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यप्रणालियों को सम्मिलित किया गया है।

शोध पद्धति

शोध में गुणात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है, जिसमें प्राथमिक स्रोत जैसे संविधान, न्यायालय के निर्णय, संसद में प्रस्तुत

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

दस्तावेज एवं द्वितीयक स्रोत जैसे पुस्तकों, शोध-पत्रों, रिपोर्टों और नीति दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है।

भारतीय संघवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1 संविधान निर्माण के समय की संघीय दृष्टि

भारतीय संविधान सभा ने जब भारत के शासन के ढांचे पर विचार किया, तब उसके समक्ष एक अत्यंत विविधतापूर्ण समाज को एकसूत्र में बांधने की चुनौती थी। भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और सांस्कृतिक पहचानों वाला देश है। इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संघात्मक ढांचा प्रस्तुत किया जिसमें एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए राज्यों को स्वायत्तता दी गई। डॉ॰ भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संघवाद एक विशेष प्रकार का संघवाद है, जिसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सके।

2 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण

भारतीय संविधान के भाग ग्यारह (अनुच्छेद 245 से 255 तक) में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण स्पष्ट रूप से वर्णित है। सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची निर्धारित की गई हैं।

- संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार विधि बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा व्यवस्था आदि।
- राज्य सूची में राज्य सरकारों को सौंपे गए विषय हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि।
- समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, विवाह आदि।

यदि दोनों स्तरों द्वारा बनाए गए विधानों में टकराव हो तो संघ की विधि को वरीयता दी जाती है।

3 प्रारंभिक संवैधानिक व्यवस्था

संविधान लागू होने के समय भारत एक ऐसा संघ था जिसमें भाग ।, ठ, ब् और क् के राज्य शामिल थे। प्रारंभ में केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया, ताकि नवस्वतंत्र भारत की अखंडता बनी रहे और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से चले।

संविधान के अनुच्छेद 356, 360 और 352 जैसे आपातकालीन प्रावधानों ने केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में राज्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया।

राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, जिससे राज्यों में केंद्र का अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रारंभ से ही देखा गया।

4 1950 से 1995 तक के संघीय विकास की संक्षिप्त चर्चा

इस कालखंड में भारत के संघीय ढांचे में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और परिवर्तन हुए।

- **राज्यों का पुनर्गठन (1956):** भाषायी आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जिससे राज्यों की पहचान और स्वायत्तता में वृद्धि हुई।
- **अनुच्छेद 356 का प्रयोग:** कई बार राज्यों की निर्वाचित सरकारों को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिससे केंद्र पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगे।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:** एस.आर. बोंमई बनाम संघ सरकार (1994) निर्णय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने में निर्णायक भूमिका निभाई।
- **राजनीतिक परिदृश्य का परिवर्तन:** क्षेत्रीय दलों का उभार और गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंधों में संतुलन की आवश्यकता बढ़ी।
- **वित्तीय आयोगों की भूमिका:** राज्य और केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर अनेक बार विचार-विमर्श और अनुशंसा की गई।

भारतीय संघवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारत का संघीय ढाँचा न केवल संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है, अपितु एक जटिल, गतिशील और विकसित होती हुई प्रणाली भी है। संविधान निर्माण के समय भारतीय संघवाद की अवधारणा ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को इस प्रकार परिभाषित किया कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को सन्तुलित किया जा सके। केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार देने का उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटना था, परंतु राज्य भी अपनी स्वायत्तता और अधिकारों के प्रति संवैधानिक संरक्षण पाए।

संघीयता का यह प्रारूप अपने समय के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक एवं व्यावहारिक था। पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसने क्षेत्रीय पहचानों को मान्यता दी और राजनीतिक स्थिरता में योगदान दिया। परंतु इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग ने संघीय संतुलन को कभी-कभी चुनौती भी दी। केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण और हस्तक्षेप ने संघीयता की भावना को प्रभावित किया, जिससे राज्यों में असंतोष और संघर्ष भी उत्पन्न हुए। 1950 से 1995 के कालखंड में भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों के बावजूद अपने आपको जीवंत और समायोजित बनाए रखा। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने संघीयता के स्वरूप को और समृद्ध किया, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और समन्वय की प्रक्रिया को मजबूती मिली। पंचायती राज संस्थाओं का विकास विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने शासन के निर्णय स्थानीय स्तर तक पहुँचाए और जन-सहभागिता को प्रोत्साहित किया। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद पूर्णतः केंद्रित नहीं है और न ही एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है। यह एक ऐसा समायोजित संघवाद है, जो देश की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप निरंतर बदलता रहा है। संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का वितरण निरंतर संतुलन की प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संविधान में संशोधन, न्यायिक निर्णय और राजनीतिक समझौते संघीय संरचना को प्रभावित करते रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी स्थिरता, लचीलापन और समायोजन की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक पहचान का अभिन्न अंग है, जो न केवल प्रशासनिक

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

दक्षता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता के संवाहक के रूप में कार्य करती है।

इस अध्याय के आधार पर आगामी अध्यायों में 1996 से 2025 तक के संवैधानिक परिवर्तनों का विश्लेषण अधिक गहराई से किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि आधुनिक दौर में भारतीय संघवाद किस दिशा में अग्रसर है और किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके साथ ही, इस अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि संघीय प्रणाली के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ, जिससे भारत का संघवाद भविष्य में और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बन सके।

वर्ष 1996 से 2025 तक के संवैधानिक परिवर्तन

1 संवैधानिक संशोधन

(क) 73वाँ और 74वाँ संशोधन पंचायती राज एवं नगरीय शासन प्रणाली

यद्यपि ये संशोधन 1992 में पारित हुए थे, इनका प्रभाव और क्रियान्वयन वर्ष 1996 के पश्चात अधिक गंभीर रूप से देखा गया। इन संशोधनों ने ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे न केवल स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला, बल्कि भारत के संघीय ढांचे में तीसरे स्तर की सरकार को मान्यता भी प्राप्त हुई। इन संशोधनों ने राज्यों को बाध्य किया कि वे पंचायती राज संस्थाओं को नियमित चुनाव, वित्तीय सशक्तिकरण और योजनाओं के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें।

(ख) 101वाँ संशोधन वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) और वित्तीय संघवाद

वर्ष 2016 में पारित 101वें संशोधन ने भारत के कर ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वस्तु एवं सेवा कर ने केंद्र और राज्य दोनों के कराधान अधिकारों को समाहित कर एक साझा कर प्रणाली लागू की। इससे वित्तीय संघवाद को नई दिशा मिली। जी.एस.टी. परिषद एक ऐसा मंच बनी, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लेते हैं, जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला। हालाँकि प्रारंभिक वर्षों में कर संग्रहण और वितरण को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए।

(ग) अन्य प्रमुख संशोधन

103वाँ संशोधन (2019): इस संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। इससे आरक्षण नीति में सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक आधार का समावेश हुआ।

105वाँ संशोधन (2021): इस संशोधन ने राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की सूची निर्धारित करने का अधिकार दिया। इससे राज्यों को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता मिली।

2 विधायिका और कार्यपालिका में संघीय संतुलन का बदलता स्वरूप

(क) राज्यपाल की भूमिका एवं विवाद

राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, और कई बार यह आरोप लगे हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों की पूर्ति का माध्यम बनते हैं। अनेक अवसरों पर राज्यपालों के निर्णयों ने संघीय संतुलन को प्रभावित किया है, जैसे सरकार गठन में पक्षपात, विधेयकों की अनावश्यक रोक, और अनुच्छेद 356 की अनुशंसा।

ख) अनुच्छेद 356 का प्रयोग और उसकी आलोचना

1996 के बाद अनुच्छेद 356 के प्रयोग में कुछ हद तक गिरावट आई, परंतु यह प्रावधान अब भी विवादों में रहता है। एस.आर. बोंमई के निर्णय के पश्चात इसकी सीमाएँ निर्धारित की गईं, फिर भी कुछ प्रकरणों में इसके दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं।

(ग) राज्यों की स्वायत्तता बनाम केंद्र का नियंत्रण

राज्यों को संविधान के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त है, परंतु कई बार केंद्र द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय अनुदान, और विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति देखी गई है। विशेषतः महामारी (कोविड-19) के दौरान यह बहस तीव्र हुई कि राज्यों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन नहीं मिल रहे।

3 न्यायिक दृष्टिकोण से संघवाद का मूल्यांकन

क) सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय जैसे एस.आर. बोंमई मामला

इस ऐतिहासिक निर्णय (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल वास्तविक संवैधानिक विफलता की स्थिति में ही किया जा सकता है, न कि राजनीतिक असहमति के आधार पर। इस निर्णय ने संघीय संरचना को सुरक्षा प्रदान की।

ख) समवर्ती सूची से संबंधित टकराव

केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती सूची में कानून बनाए जाने से कभी-कभी टकराव उत्पन्न होता है। जैसे शिक्षा, पर्यावरण, कृषि बाजार जैसे विषयों पर केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर राज्यों ने विरोध प्रकट किया। न्यायालय ने इन विषयों पर विविध दृष्टिकोणों से निर्णय दिए हैं, जिससे संघीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास हुआ है।

ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) विवाद में न्यायालय की भूमिका

दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर उठे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार यह स्पष्ट किया कि निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक निर्णयों में उचित अधिकार मिलने चाहिए। विशेष रूप से 2018 और 2023 के निर्णयों में न्यायपालिका ने संघीय भावना को बल देने का प्रयास किया। अध्याय 3 में वर्णित विषयों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संवैधानिक परिवर्तनों ने न केवल केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के पुनः संतुलन को प्रभावित किया है, बल्कि संघीयता के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इस अवधि में संवैधानिक संशोधन, न्यायालय के निर्णय, और राजनीतिक घटनाक्रमों ने संघीयता के सिद्धांतों को नई दिशा दी है। विशेष रूप से 1996 से 2025 तक के संवैधानिक सुधारों ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया, वित्तीय संघवाद में एकता और समन्वय को बढ़ावा दिया, तथा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से आरक्षण जैसे मुद्दों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। वहीं, राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र के नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना एक जटिल प्रक्रिया रही है, जिसके कारण कई बार विवाद एवं टकराव भी सामने आए। न्यायपालिका ने इस संदर्भ में एक

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

निर्णायक भूमिका निभाई है, जिसने संघीयता के मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करते हुए दोनों पक्षों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया है। हालांकि, वर्तमान समय में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहकार्य की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, ताकि राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भी संतुष्ट हो सकें। अंततः यह अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय संघवाद एक गतिशील और सतत विकासशील संरचना है, जिसमें समय-समय पर सुधार और समायोजन आवश्यक हैं। भविष्य में संघीय ढाँचे को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सहभागी बनाने के लिए नीतिगत, संवैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

वर्तमान समय की प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ

1. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की स्थिति

भारतीय संघीय व्यवस्था का मूल आधार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से गठबंधन सरकारों और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के चलते यह समन्वय और भी जटिल हो गया है।

- कुछ क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की भावना देखने को मिलती है, परंतु कई अवसरों पर टकराव भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कृषि कानूनों, सीबीआई जांच, और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में।
- वित्तीय संसाधनों के आवंटन, कर राजस्व के वितरण, और नीति निर्माण में केंद्र की प्रधानता से राज्यों को असंतुलन का अनुभव होता है।

2. क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका और उसके प्रभाव

- विगत दो दशकों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर बढ़ा है। इससे संघीय ढांचे को सुदृढ़ता तो मिली है, किंतु इसके साथ ही कई बार राजनीतिक अस्थिरता और नीति निर्धारण में बाधाएँ भी उत्पन्न हुई हैं।
- क्षेत्रीय दल राज्यों के विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों को उठाते हैं, जिससे संघीय ढांचा अधिक उत्तरदायी और सहभागी बनता है।
- किन्तु, यह भी देखा गया है कि कुछ क्षेत्रीय दल केंद्र की नीतियों का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से करते हैं, जिससे सहकार्य बाधित होता है।

3. महामारी (कोविड-19) के दौरान संघीय ढांचे की परीक्षा

- कोविड-19 महामारी ने भारतीय संघवाद की वास्तविक परीक्षा ली।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होते हुए भी महामारी नियंत्रण के लिए केंद्र ने अनेक व्यापक निर्णय लिए, जैसे लॉकडाउन, टीकाकरण नीति, संसाधनों का वितरण आदि।
- प्रारंभिक चरण में राज्यों को पर्याप्त परामर्श न मिलने से असंतोष बढ़ा। कई राज्यों ने केंद्र पर एकपक्षीय निर्णय लेने का आरोप लगाया।
- बाद में, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति बनी, विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना, ऑक्सीजन आपूर्ति और राहत पैकेज वितरण में।

4. सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा

- वर्तमान शासन प्रणाली में सहकारी संघवाद को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर नीतियाँ बनाते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं।
- सहकारी संघवाद का उदाहरण नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ साझा लक्ष्यों का निर्धारण है।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, स्वास्थ्य सूचकांक, शिक्षा सुधार आदि।
- हालाँकि, इन अवधारणाओं का प्रभाव केवल तभी स्थायी हो सकता है जब केंद्र राज्यों के साथ समानता और पारदर्शिता के साथ व्यवहार करे।

5. नीति आयोग और योजनाओं में राज्यों की भागीदारी

- योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना (2015) संघवाद में एक नए युग की शुरुआत मानी गई।
- नीति आयोग में राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी मिलती है, और विशेष चुनौतियों वाले राज्यों के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाती है।
- गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।
- किन्तु, आलोचक यह तर्क देते हैं कि नीति आयोग के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, जिससे उसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं होतीं।
- वर्तमान समय में भारतीय संघीयता की प्रमुख प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय से स्पष्ट हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की स्थिति ने संघीयता की स्थिरता को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाया है, वहीं कोविड-19 महामारी ने संघीय ढांचे की मजबूती और कमजोरियों दोनों को उजागर किया। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणाएँ संघीय संबंधों की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती हैं। नीति आयोग तथा अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों की भागीदारी संघीय सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। कुल मिलाकर, यह अध्याय भारतीय संघवाद के समकालीन स्वरूप और उसकी चुनौतियों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिससे भविष्य के सुधारों और रणनीतियों के लिए दिशा-निर्देश मिलते हैं।

संघीय संरचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण

- भारतीय संविधान संघात्मक स्वरूप प्रदान करता है, परंतु इसकी संरचना में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैंकृकेंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची में अधिक संख्या में विषय और शक्तियाँ हैं, जिससे यह संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है।
- आपातकाल, अनुच्छेद 356, राज्यपाल की भूमिका, और केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप की घटनाएँ संघीय भावना को कमजोर करती हैं।

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- इसके विपरीत, 73वें और 74वें संशोधन जैसे प्रयास विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, किन्तु उनका क्रियान्वयन राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर रहता है।

2. राजनैतिक इच्छाशक्ति और संघवाद की भावना

- संघवाद की सफलता संविधानिक प्रावधानों के साथ-साथ राजनैतिक संस्कृति और नेतृत्व की भावना पर भी निर्भर करती है।
- जब केंद्र और राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न दलों की होती हैं, तब सहयोग और समन्वय की भावना बाधित हो जाती है।
- राजनीतिक टकराव के कारण नीति निर्माण, योजनाओं का क्रियान्वयन और वित्तीय संसाधनों का वितरण प्रभावित होता है।
- यदि राजनैतिक नेतृत्व संघवाद को मात्र प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक आदर्श के रूप में स्वीकार करे, तभी यह व्यवस्था प्रभावी बन सकती है।

3. राज्यों के अधिकारों की सीमाएँ

1 यद्यपि संविधान ने राज्यों को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की हैं, फिर भी कई सीमाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं:
2 वित्तीय संसाधनों की अधिकता केंद्र के पास होने से राज्यों की योजनाएँ केंद्र पर निर्भर रहती हैं।
3 कई बार राज्यों के विधेयकों को राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजा जाता है, जिससे विलंब और हस्तक्षेप होता है।
4 केंद्र द्वारा बनाए गए कानून, विशेष रूप से समवर्ती सूची के अंतर्गत, राज्यों के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं।

4. आर्थिक और प्रशासनिक संघवाद में असंतुलन

भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक और प्रशासनिक असंतुलन है:

- केंद्र कर-संग्रहण का अधिकांश भाग अपने पास रखता है, और फिर वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों को आवंटन करता है।
- कुछ राज्य अपने सीमित संसाधनों के कारण पिछड़ जाते हैं, जिससे एक भारत, श्रेष्ठ भारत की संकल्पना कमजोर पड़ती है।
- प्रशासनिक स्तर पर भी केंद्रीय एजेंसियों का प्रभाव राज्यों की कार्यक्षमता और स्वायत्तता को सीमित करता है। जैसे सीबीआई, ई.डी., आयकर विभाग आदि।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

6.1 भारत की संघीय व्यवस्था की अन्य देशों से तुलना

भारत का संघीय ढाँचा अपनी विशिष्टताओं के कारण अन्य देशों से भिन्न है। यद्यपि भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की संघीय व्यवस्थाओं से प्रेरित है, परंतु इसकी संरचना सशक्त केंद्र पर आधारित है।

पक्ष भारत अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया

संविधानएकल, लिखित शक्तियों का वितरण केंद्र की प्रधानता राज्यों की अधिक स्वतंत्रता केंद्र प्रधान अपेक्षाकृत संतुलित राज्यों का अधिकार संसद राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है संघ से पृथक होना संभव सीमित स्वतंत्रता व्यापक राज्य अधिकार।

आपातकालीन प्रावधान विस्तृत सीमित

- भारत में संविधान संशोधन अपेक्षाकृत सरल है जबकि अमेरिका में यह कठिन प्रक्रिया है।
- भारत की संघीय संरचना को कृत्रिम संघवाद कहा जाता है, जबकि अमेरिका स्वाभाविक संघवाद का उदाहरण है।

6.2 सहकारी संघवाद की भारतीय अवधारणा बनाम अन्य लोकतंत्रों की संघीय व्यवस्थाएँ

सहकारी संघवाद वह प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर नीति निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। भारत में हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ है, विशेष रूप से नीति आयोग के गठन के बाद।

भारतीय विशेषताएँ

- नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल राज्यों को नीति निर्माण में भाग लेने का मंच देता है।
- जी.एस.टी. परिषद एक उदाहरण है जहाँ केंद्र और राज्य समान रूप से भाग लेते हैं।

अन्य लोकतंत्रों की तुलना

- **जर्मनी**: वहां सहकारी संघवाद गहराई से स्थापित है। सभी स्तरों की सरकारें निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं और संसाधनों को साझा करती हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया:** वहाँ 'काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स' केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का कार्य करती है।
- **अमेरिका:** वहाँ सहकारी संघवाद की अवधारणा सीमित है, और राज्य अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्त होते हैं।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

भारतीय सहकारी संघवाद अभी विकासशील अवस्था में है। अन्य देशों की तुलना में भारत में केंद्र की भूमिका अधिक प्रभावशाली है। भारत को अपने संघीय ढांचे में राज्यों की भागीदारी, स्वायत्तता और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

निष्कर्ष

7.1 अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

वर्ष 1996 से 2025 के कालखंड में भारतीय संघीय संरचना में अनेक संवैधानिक परिवर्तन, विधिक निर्णय एवं राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- भारतीय संघवाद का मूल स्वरूप संविधान में निहित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन पर आधारित है, किंतु यह संतुलन व्यावहारिक स्तर पर कई बार बाधित होता है।
- 73वाँ, 74वाँ, 101वाँ, 103वाँ, एवं 105वाँ संविधान संशोधन संघीय ढांचे को विस्तार देने एवं समायोजित करने के प्रयास थे।

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों ने संघवाद को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषतः एस.आर. बोंमई मामला तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े निर्णय उल्लेखनीय हैं।
- कोविड-19 महामारी जैसे संकटों ने संघीय समन्वय की व्यवहारिक कठिनाइयों को उजागर किया है।

7.2 संवैधानिक परिवर्तनों के प्रभावों का समग्र मूल्यांकन

- संवैधानिक संशोधनों ने संघीय ढांचे को समयानुकूल ढालने का प्रयास किया है, परंतु कई बार केंद्र-राज्य संबंधों में असंतुलन की स्थिति बनी रही।
- वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के माध्यम से वित्तीय संघवाद को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया गया, किंतु राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ा है।
- राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, और न्यायिक हस्तक्षेप जैसे पहलुओं ने संघीय स्वरूप में जटिलता उत्पन्न की है।
- नीति आयोग, सहकारी संघवाद, और क्षेत्रीय दलों की भूमिका ने संघवाद को व्यवहारिक रूप से अधिक जीवंत बनाया है।

7.3 भारतीय संघवाद का भविष्य और संभावित सुधार

- संघीय संरचना को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने हेतु भविष्य में राज्यों को न केवल विधायी बल्कि वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर भी अधिक स्वायत्तता दिए जाने की आवश्यकता है।
- नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी, नीति आयोग जैसे मंचों को अधिक प्रभावशाली और बाध्यकारी बनाना आवश्यक है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर, राजनीतिक टकराव की स्थिति को न्यूनतम किया जाना चाहिए।
- जी.एस.टी. परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को अधिक संवैधानिक बल प्रदान कर, उन्हें निर्णयकारी स्वरूप देना समय की माँग है।

7.4 नीति-निर्माताओं हेतु सुझाव

- संघवाद को केवल प्रशासनिक ढाँचे के रूप में न देखते हुए उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में मान्यता दी जाए।
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु समान विकास मॉडल अपनाया जाए, जिसमें पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता और योजनाएँ दी जाएँ।
- राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका को पुनः परिभाषित करते हुए, उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए।
- संसद और राज्य विधानसभाओं में केंद्र-राज्य संबंधों पर नियमित चर्चा एवं मूल्यांकन की परंपरा विकसित की जाए।

संदर्भ सूची

भारतीय संविधान एवं संबंधित विधिक दस्तावेज

1. भारत सरकार। भारत का संविधान [इंटरनेट]। नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय; 1950 [उद्धृत दिनांक: 12 जून 2025]। उपलब्ध: https://legislative.gov.in
2. भारत सरकार। संविधान (73वाँ, 74वाँ, 101वाँ, 103वाँ, 105वाँ संशोधन) अधिनियम। नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय; विविध वर्ष।
3. भारत सरकार। भारत सरकार अधिनियम, 1935। लंदन: हिज मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस; 1935।
4. भारत का संविधान। अनुच्छेद 245–254 – केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
5. भारत का संविधान। अनुच्छेद 356, 360, 365 – आपातकालीन प्रावधान।

न्यायिक निर्णय

6. एस.आर. बोंमई बनाम भारत संघ, एआईआर 1994 एससी 1918।
7. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एआईआर 1973 एससी 1461।
8. नबाम रेबिया बनाम अरुणाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष, (2016) 8 एससीसी 1।
9. एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ, (2018) 8 एससीसी 501; (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 570।
10. एमडीएमपी बनाम झारखंड राज्य, समवर्ती सूची से संबंधित मामला ।

संसदीय एवं सरकारी दस्तावेज

11. वित्त मंत्रालय। भारत की वार्षिक आर्थिक समीक्षा। नई दिल्ली: भारत सरकार; वार्षिक प्रकाशन।
12. नीति आयोग। रिपोर्ट्स एवं बैठक कार्यवृत्त [इंटरनेट]। नई दिल्ली: भारत सरकार [उद्धृत दिनांक: 12 जून 2025]। उपलब्ध: https://niti.gov.in
13. पंचायती राज मंत्रालय; शहरी विकास मंत्रालय। सरकारी रिपोर्टें और नीति दस्तावेज। नई दिल्ली: भारत सरकार।
14. भारत सरकार। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र और वार्षिक रिपोर्टें। नई दिल्ली।
15. भारत की संसद। प्रस्तुत विधेयक और चर्चा विवरण [इंटरनेट]। नई दिल्ली: लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय। उपलब्ध: https://loksabha.nic.in / https://rajyasabha.nic.in

प्रामाणिक पुस्तकें एवं शोध-पत्र

16. बसु डी.डी. भारतीय संविधान का परिचय। 23वाँ संस्करण। नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस; 2018।
17. जैन एम.पी. भारतीय संविधान का विधिक विश्लेषण। 8वाँ संस्करण। गुरुग्राम: लेक्सिसनेक्सिस; 2018।
18. ऑस्टिन ग्रानविले। भारतीय संविधान: राष्ट्र का आधारशिला। ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1966।
19. कोठारी रजनी। भारत में राजनीति। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान; 1970।

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

20. शंकर राव बी. भारतीय शासन व्यवस्था। हैदराबाद: स्टर्लिंग पब्लिशर्स; 2005।
21. विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विधि संस्थानों द्वारा प्रकाशित शोध-पत्र (यू.जी.सी.-सूचीबद्ध पत्रिकाओं में)।
22. संघवाद पर प्रकाशित सहकर्मी-समीक्षित लेख (UGC-CARE सूचीबद्ध विधि पत्रिकाओं में)।

अन्य प्रासंगिक स्रोत

23. प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के संपादकीय एवं विश्लेषण (जैसे: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रभात खबर आदि)।
24. विधि आयोग। रिपोर्ट्स [इंटरनेट]। नई दिल्ली: भारत सरकार। उपलब्ध: https://lawcommissionofindia.nic.in
25. अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें (जैसे: सीएसडीएस, एनआईपीएफपी)।
26. संविधान विशेषज्ञों के भाषण, संगोष्ठी सारांश एवं व्याख्यान (जैसे: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, बार काउंसिल आदि)।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Authors

प्रवीण कुमार द्विवेदी एक समर्पित शोधार्थी हैं जो वर्तमान में रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल से मानविकी और उदार कला संकाय के अंतर्गत पीएच.डी. कर रहे हैं। उनका शोध क्षेत्र भारतीय संविधान, राजनीति, तथा सामाजिक संरचनाओं पर केंद्रित है। उन्होंने अपने अकादमिक जीवन में विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है और शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके शोध में विशेष रुचि संविधानिक व्यवस्था, संघीय ढांचा, एवं समकालीन भारतीय राजनीति की गहराइयों को समझने में है। वे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में प्रवीण हैं और समाज तथा राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न हैं।

© 2025 Praveen Kumar Dwivedi, Dr. Ramsiya Charmkar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/